राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ.2(2)डीओपी/ए–II/89 जयपुर, दिनांकः 8-03-2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 01.07.2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची–I का संशोधन.– राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 से संलग्न अनुसूची–I में, –

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"100% सीधी भर्ती द्वारा";

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्याक 4 में की विद्यमान प्रविष्टियां हटायी जायेंगी; और

(iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में की विद्यमान प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

8/3/2018

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

8/2013